अमर उजाला
शुक्रवार, 07 अगस्त 2009

पैक है तो क्या सेफ है

सीताराम दीक्षित

क्या आपको पता है कि आप जो पैकेटबंद नमकीन खाती हैं, उसका तेल पहले भी कई बार उपयोग किया गया हो सकता है? या फिर सबसे शानदार कही जाने वाली टेट्रा पैकिंग के अंदर के लिक्विड को सीरिंज के सहारे आसानी से बाहर निकाला जाता है और उसमें मिलावटी सामान रख दिया जाता है? प्रचलित ब्रांड की पैकिंग या उसके नाम की नकल करके खराब प्रोडक्ट पैकेट में बेचना भी एक आम प्रैक्टिस है? आजकल हर चीज में मिलावट मिल सकती है, डिब्बाबंद प्रोडक्ट्स में भी।

लिक्विड आइटम्स

टेट्रा पैकिंग हो या कोई अन्य, उसमें से लिक्विड आइटम्स को सीरिंज से बाहर निकालना आसान है। उसमें एल्युमिनियम की परत को थोड़ा मसल देने से सीरिंज का छेद भी बंद हो जाता है। प्रचलित ब्रांड के नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर का अंतर करके ग्राहक की लापरवाही का फायदा उठाया जाता है।

> "पैकेटबंद है, तो सेफ है, यह सोचना गलत है। मिलावट और धोखाधड़ी के यहां भी कई आयाम हैं। ग्राहक के नाते आपकी जागरूकता ही आपके काम आएगी"

वजन और गुणवत्ता

हाल ही में पैकेटबंद खाने में मिलावट का जो उदाहरण सामने आया, वह था वजन को लेकर। कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को वजन में कुछ ग्राम कम कर दिया, लेकिन दाम वही रहने दिए। पैकेट पर सही लिखा भी गया, लेकिन मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन करके ग्राहक को ठगा गया। अधिकतर पैकेटबंद खाने में वाटर कंटेंट होता है। अगर कोई पैकेट कहीं से फट जाता है या पैकिंग कहीं से ढंग से नहीं हो पाती, तो अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और फंगस लग सकती है। ग्राहकों को यह बात प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाने के बाद ही पता चलती है। रीपैकिंग करते समय पुराने माल को नए प्रोडक्ट के साथ मिलाकर पैक कर दिया जाता है और ग्राहकों को यह बात पता भी नहीं चलती।

लग्जरी प्रोडक्ट

जब किसी जगह विशेष के कारण हम दस रुपए में मिलने वाला पैक्ड प्रोडक्ट चालीस रुपए में लेते हैं, तो यह भी एक तरह का एडल्टरेशन का मामला ही है। एअरपोर्ट, सिनेमा हॉल्स वगैरह में मिनरल वॉटर के मामले में अकसर पैकिंग और कूलिंग चार्जेस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। हालांकि डिब्बाबंद खाने के मामले में प्रतिष्ठित कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू से खिलवाड़ नहीं करती।

भारत में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन लॉ है। जिसके तहत पैकेटबंद खाने की गुणवत्ता की जांच, उसे बनाए जाने की कंडीशंस, पैकिंग आदि सभी पर नजर रखी जा सकती है। पैकिंग में लिखे जाने वाले कंटेंट के फॉन्ट साइज तक पर कानून बनाए गए हैं। लेकिन इस पर आम ग्राहक ध्यान नहीं देता। मिलावट की जांच के लिए परीक्षण किट बनाए गए हैं, पर उसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी कम है। इस परेशानी से बचने के लिए नकली या गुणवत्ता में निम्नस्तर मिलते ही उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराएं।

(लेखक कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई में जॉइंट सेक्रेटरी हैं)
प्रस्तुति: प्रतिमा पांडेय